कार्यवाही विवरण

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ग्राम–कलवर–नागूर तहसील– भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन प्रोजेक्ट (लीज एरिया–938.059 हेक्टेयर) क्षमता–1.0 एम.टी.पी.ए. के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 24.02.2012 (24 फरवरी 2012) दिन शुक्रवार, समय 12.00 बजे दिन, स्थान– जनपद पंचायत कार्यालय परिसर दुर्गूकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.), में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ग्राम–कलवर–नागूर तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन प्रोजेक्ट (लीज एरिया–938.059 हेक्टेयर) क्षमता–1.0 एम.टी.पी.ए. के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवसो के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के अंक में दिनांक 11.01.2012 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष ग्रामवासी ग्राम पंचायत झिटकाटोला से एक लिखित आपत्ति, एवं लोक सुनवाई के दौरान दो लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के प्रतिनिधी श्री पार्थो झा, (डी.जी.एम.) द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों का कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ग्राम–कलवर–नागूर तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन प्रोजेक्ट (लीज एरिया–938.059 हेक्टेयर) क्षमता–1.0 एम.टी.पी.ए. स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

लोकसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन/विचार/सुझाव के अनुसार उद्योग के द्वारा ग्राम–कलवर–नागूर तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन प्रोजेक्ट (लीज एरिया–938.059 हेक्टेयर) क्षमता–1.0 एम.टी.पी.ए. की स्थापना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के लिये अच्छा स्कूल खोली जावे, प्रभावित गांवों में सड़क का निर्माण कार्य कराया जावे। ग्रामीणों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जावे, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जावे। क्षेत्र के समुचित विकास पर विशेष ध्यान दिया जावे। आयरन ओर उत्खनन कार्य में ग्रामीणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जावे। खदान के उत्खनन से होने वाले जल प्रदूषण हेतु नाली एवं चैक डैंम, जल शुद्धिकरण की व्यवस्था की जावे। जिससे लोगों के खेत प्रभावित न हो। स्थानीय ग्रामीण एवं प्रभावित ग्रामवासियों को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जावे। उद्योग के द्वारा ग्राम–कलवर–नागूर तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन प्रोजेक्ट (लीज एरिया–938.059 हेक्टेयर) क्षमता–1.0 एम.टी.पी. ए. की स्थापना करने से यहां विकास होगा। सही दिशा में लोकहित को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा विकास किया जावे। पर्यावरण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान दिया जावे।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गयें :–

1. **श्री दसऊ राम मरकाम, सरपंच ग्राम पंचायत झिटकाटोला**–ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम तमोड़ा, तिलगनझाड़, कलवर में आता है। जिस संबंध में सभी लोगों से विचार किया गया और सभी के द्वारा सहमत बताया गया। इस क्षेत्र से करोड़ो की आमदनी हमारे ग्रामवासियों को होती है। इनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण का संतुलन बनाये रखना है तथा माइन्स को नहीं खोलने दिया जायेगा।

2. **श्री राधेराम दर्रो, ग्राम कलवर पटेल पारा**– हमारे जंगल से जो फायदा है उससे ज्यादा हमारे खेती में भी फायदा नही होता। वहां से जो जड़ी बूटी मिलती है, वह नहीं मिलेगी। खदान नही खुलना चाहिए।

3. **श्री सरादूराम कुमरे, तमोड़ा झिटकाटोला**– कलवर नागूर के पहाड़ी में आयरन खदान के संबंध में जनता का विचार है कि खदान को पूर्वजों ने संजोकर रखे है। वहां से प्राप्त जड़ी बूटी, फल से गुजर बसर करते आये है, वो सब समाप्त हो जायेगा। केवल जिनको नौकरी मिलेगा उसी को फायदा होगा। और लोगों को फायदा नही होगा। खदान नहीं खुलना चाहिए।

4. **श्री पुसाऊराम दुग्गा ग्राम भीरावाही**– हमारे कलवर माइन्स खुलने के संबंध में मै शिकायत किया हूं, क्योंकि उस जंगल को हमारे शयान लोग मानते हुए आये है उसको हम लोग पूजते हुए आए है। शासन का कहना है कि हम पर्यावरण फिर से बना लेंगे लेकिन कुदरत का बनाया कहां से बनेगा। कलवर में ऐसी जड़ी बूटी है जिससे अगर किसी आदमी की टांग टूट गई तो उससे जोड़ा जा सकता है। हम लोगों के जंगल से जड़ी बूटी आदि नष्ट हो जायेगी। खदान खुलने से हम ग्रामवासियों के खेत में हाटकोन्दल नाला से बहकर लाल पानी आयेगा। तथा हमारे जानवरों को भी पानी पीने के लिए परेसानी हो जायेगा। कलवर से साफ सुथरा पानी नदी के रूप में हम लोगों के निस्तार के लिए बहती है। बी.एस.पी. आस पास के एरिया के लोगों को रोजगार दे देगी। लेकिन हम लोगों को नुकसान ही मिलेगा। मै यहीं चाहता हूं कि यह खदान के अलावा कोई दूसरा खदान खोज लें जिसमें कोई आश्रित न हो।

5. **श्रीमती जानकी बाई बघेल ग्राम हानपतरी**– अपनी व्यक्तिगत समस्या का इनके द्वारा उल्लेख किया गया। जिसमें शासन से मुआवजा आदि की मांग की गई।

6. **श्री कमल सिंह कोर्राम ग्राम भुस्की**– यह पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। आदिवासी संरक्षण हेतु हवा, पानी, जल जंगल को सुरक्षित रखा जाना है आज जंगल माफिया सक्रिय हो कर हमारे जंगलों को अधिग्रहण कर रहे है। हमारे द्वारा क्षेत्र के वनों को संजोकर रखा गया है, उस जंगल को बिना अनुमति के काटा जा रहा है। कई कंपनियां जिसमें बी.एस.पी. है वहां के पहाड़ में हम लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए, वहां तेंदू पत्ता, चार आदि वनोपज से हम लोगों को बोनस के रूप में 10 से 20 हजार तक मिलता है। माइन्स से खोदने से निकलने वाले लाल पानी से आसपास के लोगों को परेशानी होगी। रोजगार में भी जिनका पहुंच है उन्हीं को नौकरी मिलेगी। हम ग्रामवासियों को कोई फायदा नही होगा। हम लोगों को सपना देखना छोड़ देना है हम लोगों का कोई फायदा नही होगा। माइन्स खुलने से वन माफिया आयेगा। हम लोगों को ही बाहर करेगा। इससे हमें कोई फायदा नही होगा। यहीं पर भानुप्रतापपुर में खुली माइन्स को देखो, सब बाहर के कर्मचारी लगे है। तथा ट्रक आदि सब बाहर के ही है। हम यहीं चाहते है कि यह माइन्स नहीं खुलना चाहिए। जब तक यह न बतायें कि हम लोगों को कितना फायदा होगा? कितने लोगों को नौकरी देगें? जब तक पढ़े लिखे जवानों को आई.टी.आई. का प्रशिक्षण देने आदि का अश्वासन नही दिया जाता तब तक माइन्स नहीं खुलना चाहिए।

7. **श्री राम बघेल ग्राम दुर्गूकोन्दल भूतपूर्व सरपंच**– हमारा क्षेत्र पूरा कलवर क्षेत्र से ही हैं। सभी लोग बोलते है कि हमारे बाप दादा द्वारा संजोया हुआ जंगल को नही देगें। हमारे क्षेत्र से बहुमूल्य धातु खोद कर ले जायेगें, हमको क्या मिलेंगें? हमारा तो यही कहना है कि हम लोगों को कोई फायदा नही होगा। यहां कारखाना खुलता है तो फायदा होगा वर्ना कोई फायदा नही होगा।

8. **श्री बुधवार सिंह ठाकुर पूर्व सरपंच ग्राम झिटकाटोला**– वहां पर पहाड़ी में खदान खुलेगा वो मशीनरी से होगा। हमारे गांववासियों को कोई फायदा नहीं होगा। पूरा काम मशीनरी से हो रहा है। यही पास में उदाहरण के रूप में कच्चे माईन्स में किसी भी लोकल आदमी को कार्य पर नही रखा गया है। न ही माल ढोने के लिए कोई भी लोकल गाड़ी, ट्रक आदि नही लगाया गया है। इससे मेरा यही कहना है कि यहां के लोगों को किसी प्रकार से फायदा नहीं होगा। इतनी बड़ी पहाड़ी में पेड़ पौधों का नुकसान होगा। वहां क्या पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा? हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सोंचना है। कलवर पहाड़ी हम लोगों का निस्तार है इस लिए खदान नहीं खुले।

9. **श्री प्रेम सिंह कुरेटी, सरपंच ग्राम पंचायत पर्रेकोड़ों**– यह मात्र काम खोलने के नाम से कई वादे करेगें बाद में ऐसे तमाचा मारेगें कि, एक मच्छर के कांटने से भी ज्यादा दर्द होगा । कहते है कि हर घर से, नौकरी देंगें, लेकिन किसी को नही मिलेगा। एक दो काम देखने के लिए करेगें बाद में कुछ नही करेगें। खदान खुलने से हम लोगों की जमीन खराब हो जाएगी। हमारा यहीं मानना है कि माइन्स नहीं खुलना चाहिए।

10. **श्री पण्डित राम नरेटी ग्राम हानपतरी**– हमारे जंगल को वीरान करने के लिए लगे हुए है। हमारे पूर्वज इसे संवारते हुए रखे थे। हमारा वह गड़ा हुआ धन है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। अभी तो रोजगार गांरटी से काम चल रहा है।

11. **श्रीमती चैती बाई ग्राम कलवर**– इसी पहाड़ी के नीचे हमारी खेती है सब जिससे नुकसान होगा। इससे खदान न खुलें।

12. **श्री भटेश्वर भास्कर ग्राम वाईनर**– बी.एस.पी. द्वारा जो कार्य दल्ली में हुआ है उसकी स्थिति क्या है। हम कलवर के ग्रामीण लगभग 30 करोड़ के आसामी है। जो दल्ली माइन्स से लोहा खोदकर भिलाई ले जाया जा रहा है। उसके बदले वहां के लोगों का क्या विकास हुआ है। वहां की सड़क कितनी खराब है यही माने की हमारे कलवर माइन्स खुलने से हम ग्रामवासियों को दल्ली के गांववासियों जैसे ही स्थिति होगी। बी.एस.पी. यह बताये कि लघु वनोपज द्वारा हम लोगों द्वारा जो करोड़ों में आमदनी होती है वह क्या बी.एस.पी. देगा। हमारे गांव के 80 वर्ष के आदमी भी वनोपज से कमाता है।

13. **श्री कृष्णा राम भूआर्य ग्राम सुरडोगर**– सरकार यदि कहीं भी उजाड़ करता है तो आदिवासियों का ही क्यों करता है? कंपनी द्वारा वादे किये जायेगें कि सभी को नौकरी देगें लेकिन कुछ नहीं देगें।

14. **श्री रायसिंग मण्डावी ग्राम धोबेदन्ड**– आप सभी जानते है कि दल्लीराजहरा की स्थिति क्या है? वहां पर डेढ़ लाख लोग थे अभी डेढ़ सौ लोग है क्यों? सरकार यह बताये कि उस क्षेत्र के कितने लोगों को रोजगार मिला है? ये काम में थोड़े लोगों को लेगें। थोड़े दिन के बाद में भगा देगें। हम लोग बिना घर के हो जायेगें। बी.एस.पी. का हम सब खदान खुलने का विरोध करेगें। हमारें क्षेत्र के आदमियों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगी, लिखकर देना पड़ेगा। कलवर खदान खुलने का हम विरोध करते है।

15. **श्री रमन सिंह कोर्राम ग्राम भैंसाकन्हार**– जो माइन्स खुल रहा है उसका मैं विरोध करता हूॅं।

16. **श्री चन्द्रमौली मिश्रा ग्राम भानुप्रतापपुर**– इसके पूर्व भी बहुत कपंनी का जनसुनवाई हुई उसमें वादे किये गये। क्या पूरा हुआ? नहीं। यही पर कच्चे माइन्स खुलने पर आसपास के लोगों को स्कूल, अस्पताल आदि के वादे किये गये थे। पर कुछ भी नही हुआ। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।

17. **श्रीमती शकुन्तला बाई जनपद सदस्य ग्राम पंचायत झिटकाटोला**– कलवर माइन्स को हम खोलने नहीं देगें। खदान खुलने से हम लोगों को पहाड़ी के नीचे खेती लाल पानी से बर्बाद हो जायेगा।

18. **श्री नरेन्द्र कुमार साहू, दुर्गूकोन्दल**– मैं बी.एस.पी. के माइन्स के खुलने लिए मैं समर्थन में आया था। लेकिन सभी के बातों को सुनने के बाद बी.एस.पी. के खुलने का विरोध प्रदर्शित करता हूॅं।

19. **श्री बसंत कुमार रावटे ग्राम दल्ली राजहरा**– दल्ली राजहरा वर्तमान में बी.एस.पी. द्वारा संचालित 19 स्कूलों में 2 स्कूल है क्यों बंद हो गया। वहां की सड़क इतनी खराब हो गई है कोई देखने वाला नही है। बी.एस.पी. बंद स्कूलों को फिर से संचालित करें, वहां अस्पताल चालू करें। जनमुक्ति मोर्चा दल्लीराजहरा को देख कर यहीं कोशिश करेगा कि कलवर माइन्स न खुले इसका हम विरोध करते है।

20. **श्री हरेश चक्रधारी ग्राम–चिचगांव**– हमारे गांव में उद्योग खुले है यहीं पर कच्चे माइन्स द्वारा आसपास से लालपानी की समस्या है। धूल की समस्या है। फायदा कुछ नही मिला नुकसान ही मिल रहा है। हम इस खदान का पूरजोर विरोध करते है।

21. **श्री संतूराम चुरेन्द्र ग्राम चेमल**– शिवरात्रि मेला, नवरात्रि आदि पर वहां हजारों श्रद्धालु आते है मेरा निवेदन है कि वहां रोड़ बनवाया जाये।

22. **श्री कुलदीप विजय नोन्हारे–दल्लीराजहरा**– बी.एस.पी. द्वारा दल्लीराजहरा से ओपन कास्ट आयरन को लेकर अपना स्टील प्लांट चला रहा है इनके द्वारा गरीब आदिवासियों के भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। उस क्षेत्र के लोगों को काम देने के बहाने आदिवासी समाज की उत्थान नही किया है। अब यहां कलवर के आदिवासी भाइयों को बरगला रहे है। महामाया में भी अस्पताल बंद कर पुलिस थाना खोल दिया गया है। यहां के पूजींपति, उद्योगपति, तथा यही नेता, सब मिलकर इस क्षेत्र की जनता का शोषण कर रहें है। जल जंगल, जमीन नष्ट हो जाएगी। हमारे पूर्वज कहें है कि इतिहास को मत दोहराओं इनके द्वारा अस्पताल, स्कूल आदि खोलने से पहले यहां आई.टी.आई. खोले, अस्पताल खोलें। हमकों अपने पूर्वज द्वारा बनाया गया जंगल को बचाना है। जै जोहार।

23. **श्री सियाराम ग्राम तमोड़ा**– जो हम लोग बोल रहे उसका टी.व्ही. के द्वारा दिखाया जाना चाहिए।

24. **श्री देवासिंह खरे ग्राम–झिटकाटोला**– जो कपंनी लीज में लिया है उसका हम विरोध करते है। कंपनी द्वारा पैसा नेताओं को दिया जाता है, वो उसे हड़प लेते है। खदान नहीं खुलना चाहिए।

25. श्री अशोक कुमार जैन, ग्राम दुर्गूकोन्दल–पर्यावरण के लिए वनों की कटाई चिन्ता का विषय है। आपके द्वारा क्या उपाय करेगें? कृषि भूमि माइन्स क्षेत्र में आने से क्या मुआवजा देगा? प्रभावित लोगों को क्या मुआवजा देगें? स्थानीय लोगों को क्या रोजगार देगें? मजदूरों के सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी। क्या बी.एस.पी. देगा या बीमा कंपनी का चक्कर काटना पड़ेगा। क्षेत्र के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा और सुरक्षा कैसा होगा। मैं माइन्स खुलने का विरोध करता हूँ।

26. श्री बंशीलाल बघेल ग्राम तराईघोटिया– हमकों पूंजीपतियों का साथी नहीं बनाना है। संस्कृति, जल जंगल जमीन हमारा है, इसे बचाना है। यहां से हमकों हर्रा बेहरा, तेदूपत्ता आदि वनोपज मिलता है। हम माइन्स का विरोध करते है।

27. श्री परवल दुग्गा– कोई बोल रहा है कि जमीन दब जायेगा। जमीन कम हो जायेगा।

28. श्री नवल सिंह तारम ग्राम झिटकाटोला– ग्राम कलवर में माइन्स को हम खुलने नहीं देगें। हमारे जंगल में इमारती जलाऊ आदि लकड़ी है। फल में से तेंदू, चार, चिरौंजी, हर्रा बहेरा आदि बेचकर हम लोग लाभ कमाते है। बांस आदि से टोकनी बनाकर पैसा कमाते है। खदान खुलने से लाल पानी जाने से जमीन बंजर हो जायेगी। पेड़ पौधा होने से बरसात अच्छी होती है। शुद्ध आक्सीजन प्राप्त होती है। वर्षा होने से फसल अच्छी होती है। हम सभी वादा करते है कि खदान नहीं खुलने देगें।

29. श्री सुंदर लाल श्रीमाली, सेवानिवृत संयुक्त कलेक्टर ग्राम मरानपाली– इस माइन्स के खुलने के लिए मेरे द्वारा 35 वर्ष पूर्व से विरोध करने का प्रयास किया गया है। आसपास के प्रभावित गांवों के लोगों के लिए जो इस माइन्स में विलक्षण पेड़ पौधे है क्या बी.एस.पी. द्वारा दिया जायेगा? प्रबंधन अगर कलवर खदान उत्खनन करना चाहती है। तो यह लिख कर दे कि छ.ग. के अधिकारी ही इसमें रहें। प्रबंधन समिति में दो जनपद सदस्य सम्मलित हो। श्रमिक कर्मचारी में प्रभावित गांवों के 80 प्रतिशत लोगों को लें। प्रभावी भूमि स्वामी को खदान की आय में सम्मलित करें। स्थानीय विकास कार्य हेतु 10 प्रतिशत लाभ दिया जाय। स्थानीय समिति में सभी छ.ग. के ही अधिकारी/कर्मचारी हो।

30. श्री आयतुराम ध्रुव उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्गूकोन्दल– कलवर माइन्स के संबंध में मैं यही कहूंगा कि जो पूर्वजों द्वारा जल जंगल जमीन संजोकर रखे है तो क्या हमें नष्ट कर देना चाहिए? उस वन से तेंदू, चार, महुवा, हर्रा, बहेरा, हमारे क्षेत्र के वासियों का प्रमुख आय का स्त्रोत है। क्या प्रबंधन इसका संरक्षण करेगा? वहां पर माइन्स खुलने से पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। माइन्स खुलने से वहां के आसपास के लोगों को बीमारी भी होगी। अगर प्रभावितों की जमीन जाती है तो मुआवजा के बदले जमीन मिलना चाहिए।

31. श्री जोहन गावड़े जनपद पंचायत अध्यक्ष दुर्गूकोन्दल– मैं सभी जनता को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे दुर्गूकोन्दल के क्षेत्र की जनता को नागूर माइन्स में क्या हिस्सा रहेगा। यहां के पढ़े लिखे लोगों का क्या हिस्सा रहेगा? माइन्स खुलने के पहले वहां के सभी पेड़ पौधों को नष्ट करेंगें। वहां के पंचायत के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस माइन्स खुलने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, किस माध्यम से रोजगार मिलेगा? माइन्स खुलना चाहिए।

32. **सुश्री शिरो कोमरे, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर**– उस क्षेत्र से आये सभी लोगों द्वारा वहां से उत्पन्न होने वाले फायदे के बारे बताया गया। माइन्स के खुलने से क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा। सभी लोग बतायें हमें जो प्रकृति से वन संपदा मिल रहा है। चिरौंजी, हर्रा, बहेरा, चार आदि से हम लोगों को फायदा मिलता है, व बोनस मिलता है। बी.एस.पी. यह बतायें क्या बुजुर्ग एवं 5, 6 वर्ष के बच्चों को रोजगार देगा? बी.एस.पी. प्रत्येक घर के लोगों को लिखकर दे, स्टाम्प पर लिखकर दे कि नौकरी देगा। मेरा यही कहना है कि बी.एस.पी. का कलवर माइन्स खुल रहा है। मैं उसका विरोध करती हूं। मेरा भविष्य अच्छा रहेगा। मैं अपनी सम्पति को सुरक्षित रखूंगी।

33. **श्री सुंदर लाल पुड़ो ग्राम सिवनी**– नागूर, तरईघोटिया, सिवनी आदि इस पंचायत के सभी लोग सीधे है। वहां खदान खोलने की मंशा गलत है। हम वहां माइन्स नहीं खोलने देगें। हम अपने अधिकार दूसरे को नहीं देगें। बी.एस.पी. को टोटल बंद होना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान हुई जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराई गई। जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 400 रही, एवं उपस्थिति पत्रक में 269 लोगों ने हस्ताक्षर किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(ए.के. त्रिवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(एन.के. खाखा)
कलेक्टर,
कलेक्टर, कांकेर,
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)